

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PWD DIV. JHALAWAR
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PWD DIV. JHALAWAR

मलवा निस्तारण प्रमाण - पत्र

NAME OF WORK- PROPOSAL FOR EXTANTION OF KOLANA AIR STRIP AT JHALAWAR

प्रमाणित किया जाता है कि जिस वन भूमि को कोलाना हवाई पट्टी के विस्तार एवं विकास निर्माण के काम में लिया जावेगा उस कार्य के दौरान जो भी मलवा इकट्ठा होगा उसका निस्तारण वन क्षेत्र के बाहर कर दिया जायेगा।



**Executive Engineer
PWD Div. Jhalawar**

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PWD DIV. JHALAWAR

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PWD DIV. JHALAWAR

भूमि की पर्याप्तता का प्रमाण-पत्र

NAME OF WORK- PROPOSAL FOR EXTANTION OF KOLANA AIR STRIP AT JHALAWAR

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि कोलाना हवाई पट्टी के विस्तार एवं विकास के लिए पर्याप्त है, भविष्य में कोई अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता नहीं होगी।

424

Executive Engineer
PWD Div. Jhalawar

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PWD DIV. JHALAWAR

न्यूनतम भूमि की अण्डरटेकिंग

NAME OF WORK- PROPOSAL FOR EXTANTION OF KOLANA AIR STRIP AT JHALAWAR

प्रमाणित किया जाता है कि कोलाना हवाई पट्टी के विस्तार एवं विकास के लिए वन विभाग की न्यूनतम भूमि (120.4062 हैक्टेयर) चाही गयी है।



Executive Engineer

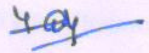
PWD Div. Jhalawar

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PWD DIV. JHALAWAR

वर्तमान प्रचलित दर (एन.पी.वी.) की अण्डर टेकिंग

NAME OF WORK- PROPOSAL FOR EXTANTION OF KOLANA AIR STRIP AT JHALAWAR

इस परियोजना हेतु 120.4062 हैक्टेयर वन भूमि के अनारक्षण के प्रस्ताव के सम्बन्ध में जो एन.पी.वी. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जावेगी, नियमानुसार देय होगी। एवं सा.नि.वि. उक्त राशि जमा करा देगा।

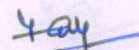

Executive Engineer
PWD Div. Jhalawar

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PWD DIV. JHALAWAR

वचन बद्धता का प्रमाण-पत्र

NAME OF WORK- PROPOSAL FOR EXTANTION OF KOLANA AIR STRIP AT JHALAWAR

प्रस्तावित वन भूमि के अनारक्षण के अन्तर्गत प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसमें अनुरक्षण या दण्ड प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ - साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत जो कि नियमानुसार होगी, निर्धारित की जावेगी, उसे सा.नि.विभाग देने को तैयार हैं।



**Executive Engineer
PWD Div. Jhalawar**

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PWD DIV. JHALAWAR

अण्डर टेकिंग

NAME OF WORK- PROPOSAL FOR EXTANTION OF KOLANA AIR STRIP AT JHALAWAR

यह प्रमाणित किया जाता है कि न्यूनतम श्रमिक दर बढ़ने से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि में बढ़ोतरी होती है तो उसका भुगतान सा.नि.वि. द्वारा कर दिया जाएगा।


Executive Engineer
PWD Div. Jhalawar

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PWD DIV. JHALAWAR

प्रमाण - पत्र

NAME OF WORK- PROPOSAL FOR EXTANTION OF KOLANA AIR STRIP AT JHALAWAR

प्रमाणित किया जाता है कि जिस वन भूमि को कोलाना हवाई पट्टी के विस्तार एवं विकास निर्माण के काम में लिया जावेगा इसे अन्य किसी कार्य हेतु उपयोग में नहीं लिया जावेगा।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि में सा.नि.वि. द्वारा नयी स्वीकृत कोलाना हवाई पट्टी का विस्तार किया जा सकेगा।



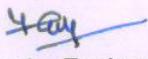
**Executive Engineer
PWD Div. Jhalawar**

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PWD DIV. JHALAWAR

वन भूमि की उपयोगिता का प्रमाण - पत्र

NAME OF WORK- PROPOSAL FOR EXTANTION OF KOLANA AIR STRIP AT JHALAWAR

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के अन्तर्गत वहाँ पूर्व में स्थित कोलाना हवाई पट्टी का विस्तार करने के क्रम में उक्त परियोजना वन क्षेत्र से गुजरेगी। प्रस्तावित वन भूमि के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। वन भूमि के प्रत्यावर्तन के पश्चात ही उक्त परियोजना का निर्माण कराया जा सकता है।


Executive Engineer
PWD Div. Jhalawar

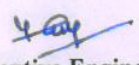
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PWD DIV. JHALAWAR

अण्डरटेकिंग

NAME OF WORK- PROPOSAL FOR EXTANTION OF KOLANA AIR STRIP AT JHALAWAR

कोलाना हवाई पट्टी के विस्तार एवं विकास निर्माण में जो सामग्री उपयोग में ली जावेगी वो वन क्षेत्र से नहीं ली जावेगी चाहे वो बोरो पिट हो तथा कार्य उपयोग में नहीं आने वाले मलबे का निस्तारण कर दिया जायेगा।

वन विभाग को समतुल्य गैर वनभूमि उपलब्ध करा दी जावेगी।


Executive Engineer
PWD Div. Jhalawar

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PWD DIV. JHALAWAR

वन भूमि की उपयोगिता का प्रमाण – पत्र

NAME OF WORK- PROPOSAL FOR EXTANTION OF KOLANA AIR STRIP AT JHALAWAR

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के अन्तर्गत वहाँ पूर्व में स्थित कोलाना हवाई पट्टी का विस्तार करने के क्रम में उक्त परियोजना वर्तमान में स्थित कोलाना हवाई पट्टी से सटे हुए वन क्षेत्र से गुजरेगी। जो कि तकनीकी मापदण्डों के अनुरूप आवश्यक हैं एवं वर्तमान में स्थित कोलाना हवाई पट्टी की लम्बाई 1700 मी. एवं चौड़ाई 30 मीटर हैं तथा कुल क्षेत्रफल 49.00 हेक्टर है उस पर एयर बस ए-320/क्यू 400 के ऑपरेशन के लिए उसकी लम्बाई डी.जी.सी.ए नियमों के तहत 3000 मीटर एवं चौड़ाई 60 मीटर (45 मी. चौड़ाई का डामरीकरण) किया जाना आवश्यक हैं ताकि हवाई अड्डे पर कॉमर्शियल फ्लाईट चालू की जा सके एवं हवाई अड्डा चालू करने के लिए आवश्यक अन्य सुविधायें जैसे टैक्सी वे, एप्रन, टर्नल स्टेशन इत्यादि सुविधायें आवश्यक हैं एवं चारों तरफ 150 मी. सेफ्टी जोन के तहत खाली जमीन एवं एयर स्ट्रिप के दोनों सिरों पर 450 मीटर खाली जमीन होना आवश्यक है। अतः प्रस्तावित वन भूमि के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। वन भूमि के प्रत्यावर्तन के पश्चात ही उक्त परियोजना का निर्माण कराया जा सकता है।



Executive Engineer

PWD Div. Jhalawar

कार्यालय अधिषाषी अभियंता सा. नि. वि. खण्ड झालावाड़

क्रमांक:- 1305

दिनांक:- 24/8/17

Full title of the project : Extension of kolana Air Strip Jhalawar
File No. : FP/RJ/OTHERS/21735/2016
Date of Proposal : 07.10.2016

Detailed Report on Voilation of Provision of forest acts

a) The extent (in ha.) of forest land broken / enchroeched and the number of trees illicitly felled 9.71 Ha.

b) प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा नियमानुसार वन संरक्षण प्रस्ताव वन विभाग को भिजवाये गये थे। जिसके आधार पर 9.71 हेक्ट. की सेद्धान्तिक स्वीकृति पत्र क्रमांक 1816 दिनांक 03.03.2005 से प्राप्त हुई जिसका प्रस्ताव संख्या F1(56)FP/2004/20.10.2004 है, जिसकी प्रति संलग्न है।

जिला कलक्टर महोदय द्वारा पत्र क्रमांक 3004-10 दिनांक 04.06.2005 से कानपुरा भीलान की भूमि आवंटित कर दी गई है। जिसका हस्तान्तरण एवं नामान्तरण की कार्यवाही नहीं हुई है। जिसके कारण वर्तमान प्रस्ताव में इस भूमि को सम्मिलित कर हस्तान्तरित कर दी गई है।

c) उपवन संरक्षक झालावाड़ द्वारा पत्र क्रमांक 3988 दिनांक 08.04.2005 से राशि रु. 6662682/- (एन.पी.वी. 6182037 एवं क्षतिपूर्ति वृक्षा रोपण राशि रु. 480645) मांगे जाने पर यह राशि इस कार्यालय पत्र क्रमांक 1736 दिनांक 24.08.2005 चैक नं. 700907 दिनांक 18.08.2005 से जमा करा दिये गये है।

d) पुनः वन विभाग द्वारा उनके पत्र क्रमांक 12419 दिनांक 24.09.2005 से अन्तर राशि रु. 2751163/- की मांग की गई जो प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त राशि स्वीकृत नहीं होने के कारण जमा नहीं करवाई जा सकी। इस प्रकार वर्तमान प्रचलित दर के आधार पर अन्तर राशि भी इस प्रस्ताव में सम्मिलित कर जमा करवा दी जावेगी। जिसकी अण्डर टेकिंग संलग्न है।


(एस.पी. गोयल)
अधिषाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़